भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3077

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

कैशलेस उपचार योजना का कार्यान्वयन

3077. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और राज्य राजमार्गों (एसएच) पर सड़क दुर्घटना के उन पीड़ितों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार मिला है;

(ख) क्या पुलिस औपचारिकताओं या अग्रिम भुगतान की आवश्यकताओं के आधार पर दुर्घटना के तुरंत बाद के समय (गोल्डन आवर) के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा उपचार में देरी करने के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये का प्रोत्साहन और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले नागरिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या कैशलेस उपचार योजना से संबंधित अस्पतालों की वास्तविक समय में निगरानी और जन शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर कोई केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड या हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर जिलों में पिछले दो वर्षों के दौरान कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को 13.02.2026 को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए प्रारंभ किया गया। यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रूपये तक का उपचार कवर प्रदान करती है। इसके अलावा, यह उपचार कवर उन सभी पीड़ितों को उपलब्ध होगा जो मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल हैं।

दिनांक 31.07.2026 तक, राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए योजना के शुभारंभ के बाद से, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कुल 22,481 पीड़ितों को निःशुल्क उपचार प्राप्त हुआ है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख) उपचार उपलब्ध कराने, दावों के प्रसंस्करण और अस्पतालों को भुगतान के संवितरण में होने वाली देरी को कम करने के लिए पीएम-राहत योजना के तहत समयबद्ध प्रक्रियाएं और स्पष्ट रूप से

परिभाषित जिम्मेदारियां निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत उपचार निम्नलिखित श्रेणियों के अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किया जाता है:-
(i) आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाले अस्पताल स्वतः ही योजना के अंतर्गत नामित अस्पताल माने जाते हैं।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, एनएचए द्वारा दिनांक 20.05.2025 को जारी ओएम संख्या एस-12018/81/2024 के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचे, कुशल कर्मियों और आघात-देखभाल क्षमता वाले अतिरिक्त नामित अस्पतालों को शामिल कर सकते हैं।

(iii) नामित अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों को तत्काल स्थिरीकरण उपचार प्रदान करना आवश्यक है और उसके बाद वे पीड़ित को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयुक्त नामित अस्पताल में स्थानांतरित कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत प्रवेश या उपचार से इनकार करना लागू योजना प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने वाले कानूनों, जिनमें नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 या संबंधित राज्य-विशिष्ट कानून शामिल हैं, के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा, अस्पताल पैनल में शामिल होने संबंधी दिशानिर्देशों में अनुपालन न करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन और पैनल से नाम हटाने का प्रावधान है।

(ग) सरकार ने गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु 'राह-वीर योजना' शुरू की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'नेक मददगार (समरिटन) योजना' के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले नागरिकों की संख्या अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(घ) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा एक समर्पित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया जाएगा। यदि आवेदक समाधान से असंतुष्ट है, या यदि इसमें देरी होती है, तो शिकायत को जिला कलेक्टर के समक्ष और उसके बाद राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया जा सकता है, जो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है।

एनएचए की हेल्पलाइन 14588 अस्पतालों के लिए भी उपलब्ध है, जहां वे अस्पताल में भर्ती होने, उपचार और अस्पताल के दावों के निपटान से संबंधित शिकायतों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, एम-परिवहन मोबाइल एप्लिकेशन के अंतर्गत एक नागरिक-केंद्रित पीएम-राहत मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह मॉड्यूल नागरिकों को योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, निकटतम नामित अस्पताल का विवरण जानने, उपचार अनुरोध से संबंधित पुलिस प्रतिक्रिया की स्थिति की जांच करने और जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

(ङ) उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर जिलों में योजना के शुभारंभ के बाद से 31.07.2026 तक पीएम-राहत योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

कैशलेस उपचार योजना का कार्यान्वयन के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.स.	राज्य	अनुमोदित	निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर योजना से बाहर कर दिया गया	राज्य पुलिस द्वारा जानलेवा मामलों को इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा*	कुल योग
1	गुजरात	6,416	474	146	7,036
2	मध्य प्रदेश	6,275	336	150	6,761
3	असम	968	1,089	34	2,091
4	उत्तर प्रदेश	679	168	40	887
5	जम्मू और कश्मीर	680	57	12	749
6	आंध्र प्रदेश	391	244	42	677
7	छत्तीसगढ	371	257	16	644
8	हरियाणा	431	44	17	492
9	ओडिशा	380	58	32	470
10	हिमाचल प्रदेश	355	7	13	375
11	त्रिपुरा	267	77	31	375
12	पुदुचेरी	223	107	4	334
13	कर्नाटक	154	136	37	327
14	राजस्थान	211	91	9	311
15	महाराष्ट्र	49	197	54	300
16	तमिलनाडु	46	98	6	150
17	केरल	31	106	1	138
18	बिहार	84	5	9	98
19	मेघालय	76	19		95
20	पंजाब	5	21	1	27
21	चंडीगढ़	15	5		20
22	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		18		18
23	झारखंड	13	4		17
24	उत्तराखंड	7	9		16

25	दिल्ली		15		15
26	सिक्किम	11	4		15
27	लद्दाख	6	8		14
28	तेलंगाना	2	7	3	12
29	पश्चिम बंगाल	1	4	1	6
30	अरुणाचल प्रदेश		4		4
31	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		3		3
32	गोवा	1	1		2
33	मणिपुर	1			1
34	मिजोरम		1		1
	कुल	**18,149**	**3,674**	**658**	**22,481**

*नोट: अस्पताल प्रशासन द्वारा जानलेवा घोषित किए गए मामले इस योजना के तहत तब तक उपचार के पात्र हैं जब तक कि पुलिस द्वारा ई-डीएआर पर मामला खारिज नहीं कर दिया जाता या 48 घंटे, जो भी पहले हो।

अनुलग्नक- II

कैशलेस उपचार योजना का कार्यान्वयन के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.स.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**	**कुल राशि (₹)**
1	आंध्र प्रदेश	-	3	16	4	-	1,15,000
2	असम	-	1	-	-	-	*
3	बिहार	63	7	25	-	-	*
4	गोवा	-	-	-	-	-	
5	गुजरात	-	-	30	-	-	*
6	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	26	2,00,000
7	जम्मू और कश्मीर	1	-	-	-	-	*
8	झारखंड	-	-	22	-	-	*
9	मध्य प्रदेश	-	-	39	-	15	4,80,000
10	नागालैंड	-	3	6	7	-	65,000
11	राजस्थान#	13	3	79	120	9	14,25,000
12	सिक्किम	-	3	-	-	-	*
13	तमिलनाडु	-	-	-	3	16	95,000
14	त्रिपुरा	-	-	1	2	8	1,40,000
15	उत्तराखंड	-	55	166	25	05	15,41,000
16	उत्तर प्रदेश	-	-	-	14	21	1,95,000
17	पुदुचेरी	-	-	-	2	-	10,000
कुल		**77**	**75**	**384**	**177**	**100**	**23,86,000**

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विवरण प्रस्तुत करते समय पुरस्कार राशि की जानकारी नहीं दी गई थी।

#राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना के तहत नेक व्यक्ति को पुरस्कृत किया है।

अनुलग्नक- III

कैशलेस उपचार योजना का कार्यान्वयन के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**ज़िला**	**अनुमोदित**	**निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर योजना से बाहर कर दिया गया ।**	**राज्य पुलिस द्वारा जानलेवा मामलों को इस योजना के तहत पात्र नहीं माना गया है***	**कुल योग**
1	शामली	8	1	2	11
2	सहारनपुर	42	28	0	70

*नोट: अस्पताल प्रशासन द्वारा जानलेवा घोषित किए गए मामले इस योजना के तहत तब तक उपचार के पात्र हैं जब तक कि पुलिस द्वारा ई-डीएआर पर मामला खारिज नहीं कर दिया जाता या 48 घंटे, जो भी पहले हो।
